**न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, महोबा**
**उपस्थितः- राम नगीना यादव, (उच्चतर न्यायिक सेवा)-UP5737**

**UPMB010001692026**
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-13/2026
दाण्डिक निगरानी संख्या- /
जी०पी० यादव बनाम सरकार उ०प्र० आदि

**प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम का निस्तारण**

1. पत्रावली प्रस्तुत होकर पुकार करायी गयी। प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम पर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी संख्या-2 राजेन्द्र की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2. निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र कागज संख्या-6ख प्रस्तुत कर निगरानी दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना सहित इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/डब्लू०आर०सी० द्वारा परिवाद संख्या-598/2021, जी०पी० यादव बनाम रावेन्द्र में पारित आदेश दिनांकित 28.07.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत निगरानी दाखिल की जा रही है। वह वर्ष 2017 से कैंसर व अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति है जिस कारण समय-सीमा के अन्दर प्रस्तुत निगरानी दाखिल नहीं कर सका। यदि निगरानी दाखिल करने में हुआ विलम्ब माफ नहीं किया जाता है तो वह न्याय पाने से वंचित हो जायेगा।

3. विपक्षी संख्या-2 राजेन्द्र की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई आपत्ति दाखिल की गयी।

4. मुंसरिम आख्या के अनुसार प्रस्तुत निगरानी 80 दिवस काल बाधित है। प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र कागज संख्या-5ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. **आदेशः** निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है। निगरानी दाखिल करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। दाण्डिक निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनाँक 20.06.2026 को प्रस्तुत हो।

दिनांकः15.06.2026

सत्र न्यायाधीश
महोबा।

Digitally signed by RAM NAGINA YADAV
Date: 2026.06.16 19:12:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court